न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–881 / 2026
रूपसपुर थाना कांड संख्या–742 / 2025

1. उदय नंद झा पिता स्व0 चन्द्र नंद झा।
साकिन– जलालपुर सिटी,फ्लैट सं0–601.रामजयपाल पथ
,थाना–रूपसपुर,जिला–पटना।

––––––– अभियुक्त।

आवेदक की ओर से– श्री सतेन्द्र प्रसाद, विद्वान अधिवक्ता।
अभियोजन की ओर से–श्री रामकेश्वर प्रसाद, विद्वान सहा0लोक अभियोजक।

आदेश

26.05.2026 रूपसपुर थाना कांड संख्या–742 / 2025 धारा–316(2),318(4)बी.एन.एस. से संबंधित है, के याची अभियुक्त की ओर से यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

इस जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस अग्रिम जमानत आवेदन के पूर्व ना ही सत्र न्यायालय और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक / अभियुक्त रूपसपुर थाना कांड संख्या–564 / 2024, परिवाद सं0–4043सी. / 23 व परिवाद संख्या–4044सी. / 2023 में भी वांछित है, जिसमें जमानत पर है। आवेदक निर्दोष है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

संक्षेप में सूचक का कथन है कि पिछले दो वर्षों से उदयानंद झा से परिचय था, उनका मेरे यहॉ आना–जाना था। मैं गोला रोड, पटना एरिया में एक कट्ठा जमीन लेना चाह रहा था। उदयानंद झा बताया कि मैंने मातेश्वरी कुमारी को एक जमीन बेची है, जिसका क्षेत्रफल 1397.5 वर्गफीट आवासीय भूमि सहायक सड़क पर है, जिसका मौजा दानापुर सहजादपुर, सर्वे थाना–21, तौजी सं0–5400, खाता सं0–385, सर्वे खेसरा सं0–1649 है। मातेश्वरी कुमारी ने जरूरी कार्य हेतु उक्त जमीन बेचने के लिये मुझे अधिकृत किया है, जिसका 92,00,000 / –रू0 तय हुआ और उन्होंने एक विक्रय पत्र सह एकरारनामा का प्रारूप दिखाया और कहा कि 10,00,000 / –रूपया दे देंगे तो हमें एग्रीमेंट कर देंगी और मुझे जमीन जाकर दिखाया। मैंने उदयानंद झा के एक्सिस बैंक एकाउंट नं0–913010046751997 दिनांक–24.10.2024 को मैंने अपने इंडियन ओवरसिज बैंक के एकाउंट नं0–36580200000211 से दस लाख रूपया आर. टी.जी.एस. के माध्यम से ट्रांसफर किया, इसके पश्चात् मैंने एकरारनामा का मांग किया तो टालने लगे। फरवरी–2025. में उदयानंद झा ने बताया कि

2.

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या—881 / 2026

रूपसपुर थाना कांड संख्या—742 / 2025

लगातार

26.05.2026

मातेश्वरी कुमारी एग्रीमेंट करने से इनकार कर रही है, तब मुझे ठगे जाने का एहसास हुआ और दस लाख रू0 का मांग किया तो आज कल करके टालने लगे और अचानक गायब हो गये, उनके घर जाने पर पत्नी बोलती थी कि अभी पटना से बाहर हैं और मुझे पता चला कि रूपसपुर थाना कांड संख्या—564 / 2024 में इसी तरह जमीन बेचने के नाम पर चालीस लाख रूपया ठगी करने के केस में जेल में है। उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आज आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तरफ से एक आवेदन दिया गया है कि सूचक को 2,00,000 / —रूपया अदा किया जा चुका है। शेष 8,00,000 / —रू0 में से दो—दो लाख रूपया प्रत्येक माह के 15 तारीख तक सूचक के पक्ष में अदा करने को तैयार है। सूचक द्वारा आज अग्रिम जमानत आवेदन पर लिखित दिया है कि उक्त शर्तों को आवेदक पालन करते हैं तो आवेदक को जमानत दिया जाए, मुझे आपत्ति नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अभियुक्त द्वारा सूचक के पक्ष में कुल आठ लाख रूपया में से दो लाख रूपया बंधपत्र दाखिल करते समय डी.डी. / आर.टी.जी.एस. / एन.इ.एफ.टी. / आई.एम.पी.सी. के माध्यम से अदा करने पर बंधपत्र औपबंधिक रूप से स्वीकार किया जाएगा, उसीप्रकार लगातार तीन महीना पन्द्रह तारीख के अंदर दो—दो लाख रूपया सूचक के पक्ष में अदा करेंगे, तब आवेदक का बंधपत्र Confirm समझा जाएगा। अन्यथा विचारण न्यायालय बंधपत्र खण्डित करने को स्वतंत्र होंगे तथा भविष्य में इसतरह का अपराध नहीं करने का अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे व एक जमानतदार उनके निकट संबंधी होने पर आदेश की तिथि से 30 दिनों के अंदर निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण / गिरफ्तार होने पर धारा—438(2) द.प्र.सं. में वर्णित शर्तों के अधीन मो0 10,000 / —रू0 के दो प्रतिभू के बंधपत्र दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित करें।

लेखापित,

Sd/-

अ0स0न्याया0,पंचम,दानापुर।